एक प्रश्न है जिससे पता चलता है कि इसके पास न तो कोई दृष्टि है और न ही कोई कार्यक्रम है। पृथकतावादी, साम्प्रदायिक तथा जातिवादी तत्वों सहित तथाकथित समाज तथा राष्ट्रविरोधी तत्वों का सामना करने के लिये ही गृह मंत्री इस विधेयक को लाये हैं। अब मैं उनसे जानना चाहूंगा कि यदि पहले इस निरंकुश कानून को एक अध्यादेश के रूप में लाने की आवश्यकता थी तो अक्तूबर तथा नवम्बर के पहले सप्ताह में कितने चोरबाजारियों तथा अक्तूबर तथा नवम्बर के दूसरे सप्ताह में कितने जमाखोरों को इन्होंने गिरफ्तार किया। सभा को यह जानकारी दी जाये कि अक्तूबर तथा नवम्बर के महीनों में कितने अपराधियों को पकड़ा गया। मैं यह नहीं जानता कि क्या वे अपने मन्त्रालय के निष्कर्षों के बारे में कोई जानकारी रखते हैं। कुछ वर्ष पहले गृह मंत्रालय ने ग्रामीण तनाव के बारे में एक अच्छा अध्ययन किया था और इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि कानून अथवा अधिकार के अभाव में ही तनाव उत्पन्न नहीं होते और दमनकारी कानून ही इसका समाधान नहीं होते। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भूमि की हिस्सेदारी, कृषिक सम्बन्ध, भूमि सुधारों की कमी आदि-आदि बुनियादि समस्यायें हैं। अब वह···

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मंत्री को अपना भाषण देना चाहिये···

एक माननीय सदस्य : भाषण के बीच में नहीं।

कुछ माननीय सदस्य : अभी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे बुरा नहीं मानता। आपकी जल्दबाजी के कारण ही मैं उन्हें बुला रहा था।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : 3 बजकर 15 मिनट पर मुझे आने वाले एक विदेश मंत्री से भेंट करनी है। वक्तव्य या तो अभी होगा या बाद में होगा।

कुछ माननीय सदस्य : हम अभी सुनेंगे।

ओ. के. पी. उन्नीकृष्णन् : मैं सदन के नेता से सहमत हूँ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे यहां बुलाया गया। मुझसे सहमत होने का कोई प्रश्न नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मंत्री।

श्री एल० आई० ब्रेजनेव की राजकीय यात्रा के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्ष मण्डल के प्रधान तथा सोवियत-केन्द्रीय समिति के महासचिव श्री लियोनिद ब्रेजनेव ने 8 से 11 दिसम्बर तक भारत की यात्रा की। यह यात्रा भारत तथा रूस दोनों देशों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थी और पिछली मई में बेलग्रेड में हमारे निमंत्रण पर उनका यहां आगमन हुआ। यह यात्रा अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय परिस्थितियों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। मुझे सोवियत नेता के साथ आपसी हित के विभिन्न मामलों पर विस्तार से बात करने के अनेक अवसर मिले। इस यात्रा के अन्त में हमने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसकी प्रति पहले ही सभा पटल पर रख दी गई है।

हम भारतवासी सोवियत संघ के साथ अपनी मैत्री को महत्वपूर्ण मानते हैं जो कि

स्वतन्त्रता से भी पहले से चली आ रही है। मैंने मास्को में अक्तूबर क्रांति की 50वीं वर्ष गाँठ के समारोह में भाग लिया। कई साल पहले मेरे पिता भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसकी 10 वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोवियत संघ गए थे। आज हमारी यह मैत्री बहुपक्षीय है जिससे दोनों देशों की जनता को लाभ पहुँचा है और यह विश्व-शांति तथा स्थायित्व में सहायक रही है। हमारे दोनों देशों की सामाजिक आर्थिक प्रणालियाँ भिन्न हैं, परन्तु विश्व शांति को कायम रखने के लिए हम दोनों समान रूप से बचनबद्ध हैं।

सोवियत राष्ट्रपति एक ऐसे शुभ अवसर पर भारत पधारे जो कि भारत सोवियत आर्थिक सहयोग की रजत जयती का प्रतीक है। राष्ट्रपति ब्रेजनेव भारत के एक पुराने दोस्त हैं और 1961 एवं 1973 में भी वे यहाँ आ चुके हैं। कई माने में वे भारत-सोवियत मैत्री की इमारत के निर्माता हैं। राष्ट्रपति ब्रेजनेव के साथ प्रतिष्ठित लोगों का एक प्रतिनिधि मण्डल भी था जिनमें विदेश मंत्री ग्रोमिको और प्रथम उप-प्रधान मंत्री आर्खिपोव थे और ये भी हमारे पुराने मित्र हैं।

हमने कई मसलों पर विचार-विमर्श किया जिनमें खासकर सीधे अपने देशों से संबन्धित थे। हम दोनों ही इस बात की आवश्यकता पर सहमत हुए कि पड़ोसी देशों में शांति तथा सहयोग का वातावरण कायम होना चाहिए और सभी संबिन्धित राष्ट्रों द्वारा इसके लिए ठोस प्रयास करने चाहिएँ। वास्तव में भारत सोवियत मैत्री किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है। यह एक ऐसी दोस्ती है जिसे हम दोनों ही बहुत महत्व देते हैं तथा अच्छे पड़ोसी संबन्धों को बनाए रखने के काम में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत-सोवियत सम्बन्धों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। शब्दों से ज्यादा हमारे काम इस दावे की पुष्टि करते हैं।

द्विपक्षी दृष्टि से हमने दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर मुख्य रूप से विचार-विमर्श किया। आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर एक समझौता, जिस पर राष्ट्रपति ब्रेजनेव के साथ मैंने हस्ताक्षर किये, इसका एक ढाँचा प्रस्तुत करता हैं। सोवियत संघ तीन प्रमुख क्षेत्रों—विद्युत्, कोयला खनन और तेल अनुसंधान—में भारत के साथ सहयोग करने पर राजी हो गया है। फेरस मेटालर्जी के क्षेत्र में परम्परागत सहयोग के अलावा यह विशेषकर भिलाई और बोकारो का विस्तार करने और विशाखापटनम में एक नया संघठित इस्पात कारखाना खोलने के संबन्ध में है। दोनों पक्षों ने कुछ प्रमुख परियोजनाओं का पता लगाया है जिन्हें साधनों की कमी के कारण छठी योजना में शामिल नहीं किया गया था। 520 लाख रूबल-520 करोड़ रुपये से थोड़ा कम—के सोवियत ऋण के हम आभारी हैं—इसे अब अगले 4 से 6 वर्षों में लिया जाएगा। इससे भारत के औद्योगिक साधनों को और बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। इस यात्रा के दौरान तीन और समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए :

1. व्यापार समझौता।

2. चलचित्र के क्षेत्र में सहयोग पर विज्ञाप्ति।

3. वर्ष 1981-82 के लिए सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक विनिमयों का कार्यक्रम।

माननीय सदस्यगण यह सुनकर खुश होंगे कि सोवियत संघ अगले पाँच सालों के लिए भारत को कच्चे तेल की सप्लाई 1.5 लाख टन के वर्तमान स्तर से 2.5 लाख टन प्रति वर्ष तक और तेल पदार्थों की सप्लाई 1.9 लाख टन से 2.25 लाख टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने पर राजी हो

गया है। यह भारत से अतिरिक्त निर्यात के बदले में होगा और इससे हमारें दुतरफा व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। हम इस मैत्री भावना की सराहना करते हैं।

हमने अन्तर्राष्ट्रीय संबन्धों पर बातचीत के दौरान विश्व की स्थिति पर सामान्य रूप से चर्चा की और अपने क्षेत्र के मसलों पर कुछ विस्तार से चर्चा की। हिन्दमहासागर तथा ईरान-ईराक के बीच चल रहे युद्ध के बारे में दोनों के विचारों में काफी समानता थी।

राष्ट्रपति ब्रजनेव ने अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के विचारों को पुन: दोहराया जिनसे माननीय सदस्य गण पहले ही परिचित हैं। अपनी तरफ से हमने अपने विचार स्पष्ट कर दिये तथा अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की। अन्य देशों के अन्दरूनी मामलों में किसी प्रकार के भी बाहरी हस्ताक्षेप के प्रति हमने अपना विरोध प्रकट किया, चाहे वह सेनायें भेजकर अथवा घुसपेठ करके किया गया हो। हमने यह भी कहा कि राजनीतिक हल संभव बनाने के लिए इस प्रकार के सभी हस्ताक्षेप रोके जाने चाहिए।

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुये कि दक्षिण पश्चिमी एशिया की समस्याओं तथा अन्य स्थितियों, जहां कहीं भी पैदा हों, के शांतिपूर्ण राजनीतिक हल का कोई विकल्प नहीं है। सोवियत नेता ने यह आशा जाहिर की कि तनाव कम करने तथा शांतिपूर्ण राजनीतिक हल ढूंढने में भारत अपनी रचनात्मक भूमिका अदा करता रहेगा।

हमारे क्षेत्र में निरंतर बढ़ते हुये तनावों तथा संघर्षों से बाहरी ताकतों को इनसे फायदा उठाने का मौका मिला है। हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि गैर-तटीय महाशक्तियों द्वारा हिन्द-महासागर में अपनी शक्ति बढ़ाने और मजबूत करने के प्रयास किये जा रहे हैं। मौजूदा अड्डों को मजबूत बनाने और नये अड्डों के बनाने तथा सुविधायें प्राप्त करने के काफी प्रयत्न किये जा रहे हैं। हम स्वयं यह माँग करते रहे हैं कि समस्त हिन्द महासागर को महाशक्तियों से मुक्त रखा जाना चाहिए जिससें यह एक शाँति का क्षेत्र बन सके। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इस खिलवाड़ में अपने आपको उलझाना एशिया और अफ्रीका के हित में नहीं है जो कि एक नये शीत युद्ध का प्रारंभ प्रतीत होता है। हमने अपनी चिन्ता को स्पष्ट रूप से अपने रूसी मित्रों के समक्ष प्रकट किया जिससे वह भी सहमत थे।

हमने दक्षिण-पश्चिम एशिया की स्थिति को अलग से इस रूप में नहीं देखा है कि इससे कोई एक देश अथवा कुछ देशों का एक गुट प्रभावित होता है। ये तनाव क्षेत्रीय तथा सारी दुनिया की स्थितियों से सबन्धित हैं। महाशक्तियो की यह एक खास जिम्मेदारी है कि वह विश्व स्तर पर सम्बन्धों में सामान्य तथा वास्तविक सुधार लाये और इस संदर्भ में माननीय सदस्यों को सम्बन्धित करते हुये राष्ट्रपति ब्रेजनेव ने जो प्रस्ताव दिये है वह रचनात्मक तथा विचारणीय प्रतीत होते हैं।

यूरोप में बढ़ते हुये नये तनावों तथा केन्द्रीय यूरोप की निरस्तीकरण वार्ता में गतिरोध पर रूस के नेताओं ने अपनी स्पष्ट रूप में चिन्ता व्यक्त की। माननीय सदस्यों को याद होगा कि दो महायुद्ध जो मानवजाति की सबसे ज्यादा विध्वंसक लड़ाईयां थी वह यूरोप में ही शुरू हुयी। इसलिए यह आवश्यक है कि यूरोप में शांति कायम रहे। यूरोप में तनाव की कमी की प्रक्रिया से युद्ध के बाद की वास्तविकताओं को स्वीकार करने तथा पारस्परिक विश्वास तथा सहयोग

बढ़ाने में योगदान मिला। हम आशा करते हैं कि इस प्रक्रिया को हाल में जो धक्का लगा, उससे वह उभर पायेगी तथा इसको और मजबूत बना कर विश्व के अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जायेगा।

रूस के राष्ट्रपति की इस यात्रा ने भारत सोवियत सम्बन्धों की शक्ति और क्षमता को और सुदृढ़ करने का एक बहुमूल्य अवसर प्रदान किया है। ये सम्बन्ध विश्वास और पारस्परिक हितों पर आधारित हैं और यही कारण हैं कि ये समय के साथ खरे उतरे हैं। किसी खास मामले में चाहे हमारे विचार भिन्न ही क्यों न हों, हमारी मैत्री बढ़ेगी और विश्वशांति को बनाए रखने तथा मजबूत करने के प्रयास में हम आपस में तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के साथ मिलकर सहयोग करते रहेंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक-जारी

विचार किये जाने का प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन्, अब आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन् (बडगिरा) : मैं यह कहने का प्रयास कर रहा था कि गृह मंत्री ने सरकार के स्वीकारोक्त रिकार्ड तथा असफलताओं की एक लम्बी सूची बनायी है, जो इस विधान के उद्देश्यों तथा कारणों में से एक है। मेरा कहना यह है कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के इन तनावों को जड़ों तक पहुँचना चाहिये ? ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव क्यों है ? मैं कह रहा था कि इनके मंत्रालय में किसी ने एक अध्ययन किया था जिसमें कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ असमानतायें हैं। हमारे विचार में उन्होंने यही कहा है कि भूमि सुधार अपर्याप्त है, उनकी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कुछ अन्य उपाय भी नहीं कर सके जिसके फलस्वरूप वहाँ कीचड़, गंदगी तथा मुसिबतें हैं। ग्रामीण तनाव के असली कारण ये ही हैं। यही कारण है कि उस तथाकथित 20 सूत्री कार्यक्रम, जिसकी ओर वे बार बार हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, में भी अब कृषि सम्बन्धी परिवर्तन के बारे में संकेत है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले चुनाव के बाद उन्होंने तथा उनकी राज्य सरकारों ने इस बारे में क्या कुछ किया है। वे एक इंच भी नहीं बढ़े हैं।

इसी प्रकार इन्होंने पृथकतावादी रवैये सहित कुछ अन्य सामाजिक तत्वों का जिक्र भी किया है। यह सरकार आसाम के बारे में एक मैत्रीपूर्ण हल ढूढने में भी असफल रही है जिसके फलस्वरूप उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिये खतरा बना हुआ है।

सरकार, वह जो काम करें, जिसने काम करने का भी वचन दिया था, अब भी काफी समय से रिक्त पड़े भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के सवैधानिक पद के लिये किसी व्यक्ति को नहीं ढूंढ पायी है। और फिर भी [redacted] भाषायी अल्प संख्यकों की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। यदि इस सरकार के काम करने का तरीका यही है तो उन्हें तनाव के कारण का पता लगाना